



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

कमॉक 11.21/डिग्री/2016

31/08/16
दिनांक 29.08.2016

परिपत्र

यह देखने में आ रहा है कि संबद्ध अध्ययन संस्थाओं द्वारा उपाधियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनके प्रिंटआउट पुनः अंकसूचियों की छाया प्रतियों के साथ संलग्न कर विश्वविद्यालय को भेजने का काम लगातार जारी है ।

कृपया अवगत हों कि ऑनलाइन आवेदनों की हार्डकापियों की पिश्वापेद्यालय को आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आवेदन का डेटा विश्वविद्यालय को सीधे ऑनलाइन से प्राप्त हो जाता है । अतः कृपया भविष्य में उस संबंध में अनावश्यक डाक व्यय न करें । विद्यार्थी अथवा अध्ययन संस्थाएँ ऑनलाइन भुगतान की सॉफ्टकापी/प्रिंटआउट अपने संदर्भ हेतु रख सकते हैं ।

उपाधियों की तत्काल मॉग हेतु कृपया पिश्वापेद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध डिग्री/डिप्लोमा हेतु आवेदन प्रपत्र के बिंदु क्रमांक 5 का अवलोकन करें ।

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव,

दिनांक 29.08.2016

31/08/16

प्रतिलिपि – क्रमांक 11.25/डिग्री/2016/भोपाल

1. निज सचिव-कुलपति, कुलाधिसचिव, कुलसचिव ।

2. समस्त विभागाध्यक्षगण ।

3. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सभी संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचित करने के अनुरोध सहित ।

4. प्रभारी-नोएडा परिसर, खण्डवा परिसर, ग्वालियर परिसर, अमरकंटक परिसर को सूचनार्थ ।

✓ 5. वेबमास्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव